

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव क्रम संख्या-FP/UP/RAIL/44309/2020

योजना/स्कीम का स्थान	रेल विकास निगम लिमिटेड वाराणसी द्वारा भटनी-औड़ीहार रेल मार्ग (किमी 01.000 से 28.226) के दोहरीकरण के कार्य हेतु आवश्यक 38.8283 हे० संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग एवं 2052 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में ।
I-राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ०प्र० राज्य
II-जिला	देवरिया
III-वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
IV-वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का	38.8283 हे०
V-वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
VI-प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाय।	संलग्न है।
VII-हरियाली का घनत्व	0.4
VIII-भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता का संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
IX-वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0.00
X-क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भा है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डर की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय)।	लागू नहीं
XI-क्या क्षेत्र में वन स्पति और प्राधिजगत की दुर्लभ/सकिटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो सत्सम्बन्धित ब्यौरा दें ?	नहीं
7-क्या कोई सुरक्षित पुराततीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो।	लागू नहीं
8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांच गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है
9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा (I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या-प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा संलग्न प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा संलग्न की जायेगी ।

(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास को वन सीमाओं को दर्शाता मैप	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा संलग्न की जायेगी ।
(III) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा संलग्न की जायेगी ।
(IV) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये स्कीम के लिये कल वित्तीय परिचय	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा संलग्न की जायेगी ।
(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपायुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकार से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	उक्त प्रस्ताव में कुल 162.8776 हे० संरक्षित वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित है एवं 4 वन खण्ड देवरिया, बलिया, मऊ एवं गाजीपुर की संरक्षित वन भूमि अपेक्षित है एवं वन प्रभाग खण्ड गाजीपुर में सबसे ज्यादा 61.1824 संरक्षित वन भूमि आवश्यक है। अतः दोगुनी अवनत वन भूमि (326 हे०) काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा आरक्षित की गयी है। जिसकी सभी सूचनायें प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा संलग्न की जायेगी ।
11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम-7(XI,XII) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से अपेक्षित है।
12-विभाग/जिला प्रोफाइल	सा०वा० प्रभाग, देवरिया, जनपद-देवरिया मो० नं० 7839435132
(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2527.20 वर्ग कि०मी० या 252720.00 हे०
(II) जिले का वन क्षेत्र	264.345 हे०
(III) मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	14 / 118.198618 हे०
(IV) 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
(V) तक प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	रिक्त
(क) वन भूमि पर	0.99 हे०
(ख) वनेत्तर भूमि पर	0.162
13-प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेसित ।

दिनांक - 03/12/2020

नाम -

(दीनानन्द राय)

प्रभागीय निदेशक

स्थान - देवरिया

मुहर -

सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया